145

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 83–एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–12–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–296/अपील/06–07

.....

1– मु. पार्वती पत्नी स्व0 श्री राम सजीवन शिवहरे

2– राजाराम शिवहरे तनय स्व0 श्री रामसजीवन

3– गोधनी पुत्री स्व0 श्री रामसजीवन शिवहरे

4– चुन्नी पुत्री स्व0 श्री रामसजीवन शिवहरे

5– शारदा प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामसजीवन शिवहरे

6– रामदुलारी पुत्री स्व0 श्री रामसजीवन शिवहरे

7– अनिल कुमार शिवहरे तनय स्व0 श्रीरामसजीवन शिवहरे

सभी निवासी–ग्राम नकैला तहसील मझगवां जिला सतना

------आवेदकगण

विरूद्ध

श्री राम शिवहरे तनय श्री रामस्वरूप शिवहरे

निवासी–चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/09/2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 4–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील प्रभारती वृत्त बरौंधा तहसील मझगवां जिला सतना के समक्ष धारा 109, 110 का आवेदन पत्र इस आशय का दिया कि आराजी नं. 19/4अ/1 रकवा 0.34(एकड़ मौजा रजौला स्थित भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा जारिए प्र0कं0 28/अ6/04–05 में पारित आदो दिनांक 11–7–05 को अनावेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07–11–06 को अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार हैं व मृतक रामसजीवन के विधिक व प्राकृतिक वारिसान है अतः उभय पक्षों को हितबद्ध पक्षकार बनाते हुये सुनवाई कर योग्य आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 04–12–07 के द्वारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा तहसीलदार मझगंवा का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक अभिभाषक ने रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने संबंधी तर्क किये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी मृतक रामसजीवन शिवहरे थे। अनावेदक स्व0 रामसजीवन का नाती है तथा स्व0 रामसजीवन अपने परिवार से अलग अनावेदक के पास रहते थे। अनावेदक ही उनकी देखभाल तथा इलाज आदि कराता था। मृत रामसजीवन द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 12–10–98 को वसीयत लेख कराई जिसमें आराजी नं. 19/4अ/1 रकवा 0.34(एकड़ मौजा रजौला स्थित भूमि का भविष्य में उत्तराधिकारी घोषित किया। अनावेदक द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसपर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11–7–05 के द्वारा अनावेदक का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया। तहसील न्यायालय में वसीयत को वसीयत

लेकर एवं गवाह से प्रमाणित भी कराया गया था। यह भी तर्क दिया कि मात्र वारिस होने के आधार पर तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर प्रकरण पुनः हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयत को प्रमाणित पाते हुये किये गये नामांतरण को उचित पाया, इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई थी। अपर आयुक्त के विधिसंगत आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें किसी प्रकार का कोई आधार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत मृतक के विधिक वारिसानों को बिना पक्षकार व बिना व्यक्तिगत सूचना तामील कराये आदेश दिनांक 11.07.05 को एकपक्षीय रूप से पारित करने में भूल की है, जबकि विधि के अनुसार नामांतरण कार्यवाही में हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने की दशा में संपूर्ण कार्यवाही संदेह जनक एवं अवैध है तथा निरस्त किया जाना उचित है । इस संबंध में 2005 रा0नि0 225 चन्द्रप्रताप सिंह बनाम शशिप्रभा अवलोकनार्थ है । इसी प्रकार भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 उप धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है । बिल के बाधार पर नामांतरण की कार्यवाही में मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारी को व्यक्तिगत सूचना दिये बगैर नामांतरण आदेश पारित नहीं की गई, जो नामांतरण विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है, (सत्यनारायण विरूद्ध भगवान 1999 रा0नि0 355) न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी नं0 19/4अ/1 रकबा 0.34¼ ए0 मौजा रजौला का कूट रचित दस्तावेज तथा कथित वसीयतनामा में वर्णन पंडित रामअवध चतुर्वेदी से कराया है वह आराजियात जिस दिनांक को तथा कथित वसीयतनामा लेख की जानी बताई है उस दिनांक 12.10.98 को रामसजीवन के नाम पर तो आ0नं0 19/4अ/1 ही था और न ही रकबा 0.34¼ ए0 था । वर्ष 1994

से ही रामसजीवन के नाम आ0नं0 19/4अ/1/1 रकबा 0.28 ए0 दर्ज थी तथा वर्ष 1994 से 19/4अ/1/1 का ही मालिक स्वामी मृतक रामसजीवन थे न कि आ0नं0 19/4अ/1 के । अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 19/4अ/1 रकबा 0.34¼ ए0 के नामांतरण का आवेदन किया था, किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आ0नं0 19/4अ/1/1 रकबा 0.28 ए0 का नामांतरण अनावेदक के पक्ष में स्वीकार किये जाने की त्रुटि की है । जबकि कानून की स्पष्ट मंशा है कि जिस आराजियात का नामांतरण आवेदन में विषय वस्तु नहीं बनाया गया है उसे आदेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इस संबंध में 2005 रा0नि0 81, बेटीबाई बनाम मूलचन्द्र पटेल न्याय दृष्टांत पेश है । इस प्रकार राजस्व निर्णय 81 बेटीबाई बनाम मूलचन्द्र पटेल 2005 एवं संतोष तथा एक अन्य बनाम दिबिया बाई 2005 राजस्व निर्णय 101 में उल्लेख है कि "नैसर्गिक वारिसों को बिल द्वारा की गई भूमि जो उसके हकदार बिल अभाव के में भी थे। ऐसी बिल सुसंगत है किन्तु गैर नातेदार तथा असम्बंध व्यक्तियों के पक्ष में बिल संदेहास्पद है और ऐसे बिल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है । तहसील न्यायालय ने विधि के विपरीत आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, मझगवां ने आदेश दिनांक 07.11.2006 द्वारा निरस्त किया है । किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में भूल की है । अपर आयुक्त ने यह माना है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय के आदेश को विधिसंगत मानते हुये यथावत रखा है, जो कि अवैधानिक है ।

6/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, तर्क, राजस्व निर्णयों के उदाहरण एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण के अवलोकन एवं विचारण उपरांत यह निष्कर्ष निकला है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा में आवेदक पक्ष को हितबद्ध पक्षकार ही नहीं बनाया है न ही आवेदकगण को सुनवाई का अवसर ही दिया गया, जबकि आवेदकगण प्राकृतिक रूप से हितबद्ध पक्षकार थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.07 एवं तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 11.07.2005 विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी मझगांव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,